तत्काल
जरिये मेल
स्मरण पत्र–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक–: प.12(215)नविवि/2016 जयपुर, दिनांक–: 5 JAN 2018

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास –बीकानेर/भीलवाडा/उदयपुर/अलवर/भरतपुर/कोटा/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/भिवाडी/आबू (सिरोही)/पाली/सवाईमाधोपुर/बाड़मेर/चित्तौड़गढ़

विषयः–एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4164/2016 मालीराम जाट व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3116/2016 बाबुलाल खुराड़िया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 की पालना में अवाप्तशुदा भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व विकसित कॉलोनियों के नियमन संबंधी सूचना भिजवाने बाबत्।
सन्दर्भः–इस विभाग के पूर्वसमसंख्यक पत्र दिनांक 01.01.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस विभाग के पूर्व सन्दर्भित समसंख्यक पत्र दिनांक 01.01.2018 की ओर आकर्षित कर लेख है कि उक्त पत्र के द्वारा एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4164/2016 मालीराम जाट व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3116/2016 बाबुलाल खुराड़िया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 की पालना में अवाप्तशुदा भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व विकसित कॉलोनियों के नियमन संबंधी सूचना माननीय न्यायालय में पेश की जानी है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 मय प्रपत्र की प्रति भिजवाकर चाही गई सूचना दिनांक 04.01.2018 तक आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाने हेतु लिखा गया था, जो आज दिनांक तक भी अपेक्षित है।

कृपया चाही गई सूचना 3 दिवस में आवश्यक रूप से **जरिये मेल/फैक्स (Email:- alr.udh144@gmail.com फैक्स नं.:– 141–5116782)** द्वारा इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे माननीय न्यायालय में सूचना समय पर पेश की जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

ह०
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–
1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उक्त पत्र **मेल हेतु एवं इस शाखा के पूर्व में जारी सन्दर्भित पत्र दिनांक 01.01.2018, माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 05.09.2017 एवं प्रपत्र की प्रति नगरीय विकास विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है। (संलग्नः–उपरोक्तानुसार)**
2. गार्ड पत्रावली।
3. रक्षित पत्रावली।

5/1/18
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

जरिये मेल

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक–: प.12(215)नविवि/2016 जयपुर, दिनांक 1 JAN 2018

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास –बीकानेर/भीलवाडा/उदयपुर/अलवर/भरतपुर/कोटा/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/भिवाडी/आबू (सिरोही)/पाली/सीकर/सवाईमाधोपुर/बाड़मेर/चित्तौड़गढ़

विषयः–एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4164/2016 मालीराम जाट व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3116/2016 बाबुलाल खुराड़िया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 की पालना में अवाप्तशुदा भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व विकसित कॉलोनियों के नियमन संबंधी सूचना भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4164/2016 मालीराम जाट व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3116/2016 बाबुलाल खुराड़िया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 की पालना में अवाप्तशुदा भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व विकसित कॉलोनियों के नियमन संबंधी सूचना माननीय न्यायालय में पेश की जानी है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 मय प्रपत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया प्रपत्र के अनुसार चाही गई सूचना दिनांक 04.01.2018 तक आवश्यक रूप से **जरिये मेल/फैक्स (Email:- alr.udh144@gmail.com फैक्स नं.:– 141–5116782)** द्वारा इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे माननीय न्यायालय में सूचना समय पर पेश की जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

01/12/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–
1. सूचना सहायक, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को मेल हेतु प्रेषित है। **(संलग्नः–उपरोक्तानुसार)**
2. गार्ड पत्रावली।
3. रक्षित पत्रावली।

01/01/18
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4164/2016 मालीराम जाट व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3116/2016 बाबुलाल खुराड़िया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 की पालना में अवाप्तशुदा भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व विकसित कॉलोनियों के नियमन संबंधी सूचना

प्रपत्र

क्र.सं.	राजस्थान आवासन मण्डल/प्राधिकरण/न्यास/विभाग/संस्था का नाम	अवाप्तशुदा भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व विकसित कॉलोनियां, जो नियमन से शेष है। (प्रकरणवार विवरण)	अवाप्तशुदा भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व विकसित कॉलोनियों की संख्या, जिनके नियमन के प्रकरण निरस्त कर दिये गये। (प्रकरणवार विवरण)	दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अवाप्तशुदा भूमि पर विकसित कॉलोनियों के नियमन से निरस्त किये प्रकरणों में भूमि का कब्जा लिया गया या नहीं (प्रकरणवार विवरण)
1	2	3	4	5

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 4164 / 2016

Maliram Jat &Ors

----Petitioner

Versus

State (Urban Development)Ors

----Respondent

Connected With

S.B. Civil Writ Petition No. 3116 / 2016

Babu Lal Khuradia

----Petitioner

Versus

State (Urban Development)Ors

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr Devendra Raghav
Mr SK Singodiya

For Respondent(s) : Mr Rajendra Prasad, Additional Advocate General
Mr Parag Rastogi

HON'BLE MR. JUSTICE M.N.BHANDARI

Order

05/09/2017

During course of the arguments, reference of the circular dated 6.1.2016 has been given regarding regularisation of the land.

Learned Additional Advocate General Mr Rajendra

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

Prasad submits that the circular dated 6.1.2016 is nothing but a compendium of the circulars issued from time to time. It is more specifically in regard to the colonies which were developed prior to 17.6.1999. It is also stated that section 90B and, subsequently section 90A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 apart from section 54 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 were amended to make a provision for regularisation of the land. The State Government, thereupon, introduced Rajasthan Urban Areas (Permission for of Agricultural Land For Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 (for short "the Rules of 2012"). In view of the rules aforesaid, now, regularisation and allotment of the land would be made. A reference of Chapter III of the Rules 2012 has been given where the provisions have been incorporated in reference to section 90A of the Act of 1956.

Learned Additional Advocate General was asked to clarify about necessity of circular when Rules of 2012 exist. He prays for time to seek instructions from the government as to why the circular dated 6.1.2016 has been issued when the Rules are operational. The clarification has been sought by the court because circular dated 6.1.2016 would apply for regularisation of the land where residential colonies were developed before 17.6.1999. A period of 18 years has already passed by now and, in between, rules were introduced then as to why the government is issuing circular/s from time to time instead of governing it by the rules of 2012. It is unnecessarily inviting litigation. In view of

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
RAJASTHAN HIGH COURT

the aforesaid, this court is taking suo motu cognizance on the aforesaid.

The government is further directed to indicate as to how many cases are pending for regularisation of colonies developed before 17.6.1999 and further as to how many such cases have been rejected. If any case was rejected, whether possession of the land was taken by the government?

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
RAJASTHAN HIGH COURT

All these issues are relevant for the reason that litigation is multiplying on account of non-consideration of cases for regularisation or due to discrimination. To avoid multiplicity of litigation, let all these facts come on record.

Let the suo motu petition be registered separately and listed along with the writ petition.

A copy of this order be given to learned Additional Advocate General Mr Rajendra Prasad, who may file reply thereto along with details, within four weeks.

सत्यमेव जयते

List this writ petitions on 9.10.2017 along with suo motu petition.

(MN BHANDARI) J.

bnsharma